आदेश व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 110/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डियन बैंक शाखा अम्बावाडी, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स वी–मेक इण्डस्ट्रीज जरिये प्रो. श्री प्रथम सिंह भाटी,
2. श्री प्रथम सिंह भाटी पुत्र श्री महेन्द्र सिंह भाटी,
3. श्री महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री मन्नीलाल भाटी,
4. श्रीमती रेनू भाटी पत्नी श्री मन्नी लाल भाटी,

पता :– ए–II–7, एलआईसी फ्लेट्स, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002

उपस्थित :–

1. श्री विनोद कुमार खाण्डल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

आदेश दिनांक 23.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.07.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री महेन्द्र सिंह भाटी एवं श्रीमती रेनू भाटी के स्वामित्त्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर ए–33, ईडन गार्डन स्कीम, ग्राम राजावास, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 174.94 वर्गमीटर एवं श्रीमती रेनू भाटी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह भाटी के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. 7, प्रथम तल, ए–2, ब्लॉक, सेक्टर–2, विद्याधर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 945.16 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 01,56,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी को कुल राशि 01,56,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 83,71,813/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अप्रार्थी ने जबाव प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में श्री महेन्द्र सिंह भाटी एवं श्रीमती रेनू भाटी के स्वामित्त्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर ए–33, ईडन गार्डन स्कीम, ग्राम राजावास, सीकर रोड, जयपुर, क्षेत्रफल 174.94 वर्गमीटर एवं श्रीमती रेनू भाटी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह भाटी के स्वामित्त्व की संपत्ति फ्लेट नं. 7, प्रथम तल, ए–2, ब्लॉक, सेक्टर–2, विद्याधर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 945.16 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को आदेश दिनांक से एक माह बाद प्राप्त करने में सहयोग कर कब्जा वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 23.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/06/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर